15-01-19	नियत दिनांक 14-01-19 को अवकाश घोषित होने से पत्रावली आज पेशी में ली गई। वकील प्रतिवादी सं० 1 द्वारा की गई बहस एवं पेश दस्तावेजात नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2071 से 2074, 2075 ख० नं० 2701/2117/1237, 2119/1237, 2121/1238, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर प्रार्थी के प्रा० पत्र का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, चूरू की ओर से यह प्रकरण धारा 177 व धारा 63(1) (5) RTA के तहत वादग्रस्त कृषि भूमि ख०नं० 2701/2117/1237 तादादी 9-16

उपखण्ड अधिकारी चूरू

में जारी हुए

बीघा रोही कस्बा चूरू के खातेदार द्वारा बिना रूपान्तरण कराये कृषि भूमि को अकृषि कार्यों हेतु उपयोग में लिया जा रहा है तथा आवासीय प्लॉटिंग व समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है इसलिए उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावे। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने अपनी स्वयं की व अपनी पत्नी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में अपने कृषि कार्य के उपकरण व फसल आदि रखने हेतु एक कमरा व बरामदे का निर्माण करवाया है। उक्त भूमि में प्रार्थी ने ट्यूबवैल बना रखा है तथा कृषि कनेक्शन ले रखा है तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर कृषि कार्य ही कर रहा है जिसके प्रमाण में प्रार्थी ने नकल गिरदावरी पेश की है जिसमें वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वर्ष में काश्त अंकित है। फिर भी मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जावे ताकि प्रार्थी के साथ न्याय हो सके। प्रार्थी ने कोई अकृषि कार्य नहीं किया है। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया गया परन्तु उनकी ओर से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई जिस पर वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने बहस में प्रस्तुत नकल गिरदावरियों को प्रदर्शित करते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई प्लॉटिंग नहीं होना जाहिर किया एवं कथन किया कि जब गिरदावरी में फसल काश्त अंकित है तो प्लॉटिंग होना सम्भव नहीं है अतः तहसीलदार चूरू द्वारा पेश प्रकरण इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा पेश नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2071 से 2074, 2075 व छायाप्रति विद्युत ~~[illegible]~~ (सौर ऊर्जा) बिल का अवलोकन करने से जाहिर है कि प्रतिवादी/प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य ही कर रहा है उसके द्वारा कृषि कार्य में सहायक एवं कृषि सुधार कार्य किया है जिसके लिए उसने एक कमरा मय बरामदा व ट्यूबवैल बनाया है तथा सौर ऊर्जा का प्लेट लगाकर उक्त ट्यूबवैल से फसल की सिंचाई की जा रही है इस प्रकार तहसीलदार चूरू की ओर से पेश प्रकरण इस स्तर पर चलने योग्य नहीं है अतः दावा वादी इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाकर ड्रॉप किया जाता है आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील